सामान्य अध्ययन (टेस्ट - XIV)

GENERAL STUDIES (Test - XIX)

मॉड्यूल - XIV / Module - XIV

DTVF/18(JS)–M–**GS14**

निर्धारित समयः तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	अधिकतम अंकः 250 *Maximum Marks: 250*

नाम (Name): Ravi Kumar Sihag

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 07/07/18 14

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

1	1	3	9	4	7	9

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): RavSly

नोटः प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

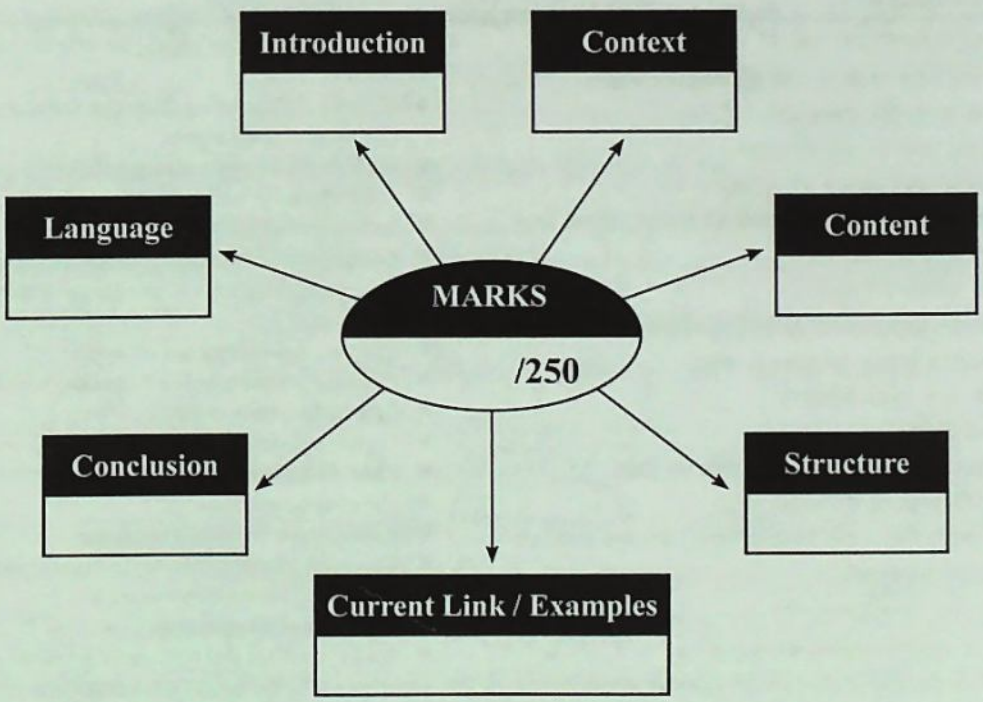

मूल्यांकनकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Evaluator (Code & Signatures)

पुनरीक्षणकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Reviewer (Code & Signatures)

मूल्यांकन की पद्धति

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षक-समूह के सदस्य निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखते हैं। आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने प्राप्तांकों का तार्किक कारण समझ सकें।

परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिये जैसा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परीक्षकों द्वारा रखा जाता है।
2. सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक व उत्कृष्ट है; उसे अधिकतम 60% अंक दिये जाने चाहियें क्योंकि आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में भी इससे अधिक अंक मिलना लगभग असंभव है। वैकल्पिक विषयों के उत्कृष्ट उत्तरों तथा श्रेष्ठतम निबंधों में अधिकतम 70% तक अंक दिये जा सकते हैं।
3. कृपया अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार करें-

उत्तर का स्तर (Standard of Answer)	सामान्य अध्ययन में अंक-स्तर (Marks Standard G.S.)	वैकल्पिक विषय तथा निबंध में अंक-स्तर (Marks Standard - Optional Subject and Essay)
उत्कृष्ट (Excellent)	51-60%	61-70%
बहुत अच्छा (Very Good)	41-50%	51-60%
अच्छा (Good)	31-40%	41-50%
औसत (Average)	21-30%	31-40%
कमज़ोर (Poor)	0-20%	0-30%

4. कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को विशेष प्रोत्साहन दें-
   - प्रश्न की सटीक समझ व उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा
   - संक्षिप्त, टू-द-पॉइंट लेखन शैली
   - प्रामाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग
   - अधिकतम जरूरी बिंदुओं का समावेश
   - सरकारी दस्तावेजों (मत्रालयों/आयोगों की रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स आदि) के संदर्भों की चर्चा
   - प्रभावी भूमिका व निष्कर्ष
   - समकालीन घटनाओं/प्रसंगों को उत्तर से जोड़ना
   - दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन व गहराई
   - अच्छी, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग
   - भाषा में प्रवाह
   - आवश्यकतानुसार डायग्राम्स, नक्शों आदि का प्रयोग
   - तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग
   - सुंदर प्रस्तुति शैली (छोटे पैराग्राफ्स रखना, महत्त्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना आदि)
   - विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग
   - भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता
5. टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषयवस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द-सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। कृपया आप भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार अंक-निर्धारण करें।

Method of Evaluation

Dear Candidates,

While assessing your answer-scripts, the evaluators are required to follow the given instructions. You should also read them carefully to understand the logic behind the marks obtained by you in the tests.

Instructions for the Evaluators

1. The level of marks while evaluating the answers should be kept as per UPSC (Union Public Service Commission) standards as far as possible.
2. The answers of General Studies which are accurate and excellent from every perspective should be awarded a maximum of 60% marks as it is almost impossible to get more than that in actual UPSC examination. Excellent answers in optional subjects and the best written essays can be awarded a maximum of 70% marks.
3. Please assign the marks according to the following table-

4. Please devote special attention to the following qualities in an answer–
   - Accurate understanding of the question and systematic presentation of the answer
   - Crisp and to the point writing style
   - Adequate use of authentic facts
   - Inclusion of all the important points
   - Citing of relevant facts and figures from relevant official documents (Ministries /Commissions Reports, Policy Papers etc.)
   - Effective introduction and conclusion
   - Linking of current events and situations with the answer
   - Balance and depth in answer-writing
   - Legible and clean handwriting
   - Flow of language
   - Use of diagrams, maps etc
   - Precise use of technical terminology
   - Beautiful presentation style (small paragraphs, underlining important words etc.)
   - Proper use of punctuations
   - Correct spellings and right use of grammar
5. Experience of UPSC toppers also indicates that if the content of the answer is good, the UPSC examiners do not cut the marks on slight violations of the word-limit. Please award marks strictly according to the above-mentioned instructions.

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

1. संसदीय समितियों के गठन के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लोक लेखा समिति के कार्यों और उसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Discuss the objectives behind constitution of parliamentary committees. Also highlight the functions and limitations of the Public Accounts Committee. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका निर्माण विधायिका में से होता है अतः कार्यपालिका पर विधायिका का 'अवरोध एवं संतुलन' स्थापित करने हेतु विभिन्न संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि की स्थापना निम्न उद्देश्यों हेतु की गई है।

(क) सरकार पर संसदीय नियंत्रण लगाना
(ख) इनका नियंत्रण विधायिका की अपेक्षा अधिक लचीला एवं प्रभावी होता है
(ग) धन के औचित्यपूर्ण खर्च की जाँच करना
(घ) सरकार पर राज्यसभा एवं विपक्ष को नियंत्रण स्थापित करवाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
(ङ) कार्यपालिका पर बजटीय नियंत्रण स्थापित करना (स्थायी विभागीय समितियाँ)
(च) सरकार को निरंकुशतापूर्ण नियम बनाने से रोकना (अधीनस्थ विधान समिति) आदि।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

लोक लेखा समिति :- यह एक स्थाई वित्तीय समिति का प्रकार है जिसका कार्य सरकार के खर्चों की लोक लेखाओं की जाँच करना है। गौरतलब है कि कैग इस समिति हेतु 'पथ प्रदर्शक' का कार्य करता है। समिति के प्रमुख कार्य -

(क) कैग द्वारा जाँच किये गये प्रतिवेदनों - विनियोग लेखा पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ वित्त एवं सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों पर विचार करना।

(ख) यह समिति न केवल धन के व्यय की जाँच करती है वरन् धन की मितव्ययता, विवेकशीलता एवं औचित्य की भी जाँच करती है।

संगठन
- 21 सदस्य
15 लोकसभा + 6 राज्यसभा
- एक वर्ष कार्यकाल
- सामानुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचन
- मंत्री योग्य नहीं
- अध्यक्ष विपक्ष का नेता

(ग) समिति के द्वारा प्रतिवर्ष जाँच कर कार्यपालिका पर विधायिका, राज्यसभा एवं विपक्ष का नियंत्रण बनाये रखा जाता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(घ) अन्य प्रकार की लेखाओं की जाँच करना जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा देय है।

सीमाएँ: (क) ये दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ख) नीति-निर्माण में इस समिति की कोई भूमिका नहीं होती है।

(ग) इनका कार्य 'पोस्टमॉर्टम' जैसा होता है।

(घ) व्यय के तकनीकी पक्षों की उपेक्षा क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं।

(ङ) सभी प्रकार के लेखाओं की जाँच पूरी करने में समय का अभाव।

अतः उपर्युक्त समस्याओं का समाधान कर समिति की संरचना में थोड़ा परिवर्तन कर शक्ति बढ़ाकर इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
Please do not write anything except the question number in this space)

2. महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करें। क्या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस का लाया जाना एवं उसका खरिज होना न्यायपलिका में अनुचित हस्तक्षेप को इंगित करता है? स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Give an account of the process of impeachment. Does the recent case of failed attempt to bring in the impeachment notice against the Chief Justice of India point towards an interference in functioning of judiciary? Elucidate. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उच्चतम न्यायालय के जजों को 'कदाचार (साबित) एवं असमता' के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में 'महाभियोग' शब्द का वर्णन नहीं है, परन्तु 'न्यायधीश जाँच अधिनियम' 1968 में बनाई गई संसदीय विधि में निहित प्रक्रिया को व्यवहार में महाभियोग कह दिया जाता है।

प्रक्रिया:- (1) संसद के उसी सत्र में एक सदन द्वारा (लोकसभा न्यूनतम 100 सदस्य, राज्यसभा न्यूनतम 50 सदस्य) प्रस्ताव लाया जा सकता है।

(2) सदन के सभापति/अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं।

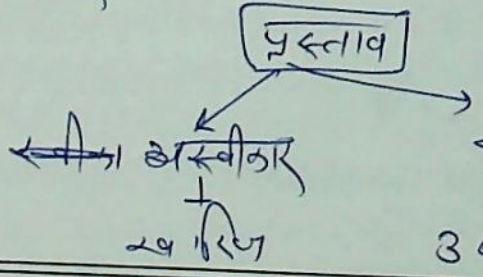

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समिति - उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश एवं प्रख्यात न्यायविद

↓

जाँच → प्रतिवेदन

दोषी तो संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा

निर्दोष तो कोई कार्यवाही नहीं

⇓

राष्ट्रपति आदेश → न्यायधीश का हटना।

हाल ही में विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश (सी-जे-आई-) पर महाभियोग दाखिल किया गया। राज्यसभा के उपसभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव में सी-जे-आई पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया।

प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायपालिका में अनुचित हस्तक्षेप है?

विश्लेषण करने पर हम यह पाते हैं कि सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

जाना विधि के विरुद्ध नहीं है एवं कानून सम्मत है। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका मे अभी तक न्यायधीशों के आचरण की जाँच करने हेतु कोई आंतरिक व बाह्य क्रियाविधि विकसित नहीं की है। अब यदि किसी को न्यायधीश के आचरण की वैधता पर सवाल उठाने है तो उसके पास इसी अधिनियम के उपायों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।

अत: ~~[illegible]~~ प्रस्ताव को कानूनसम्मत प्रक्रिया द्वारा लाया जाना न्यायपालिका पर हस्तक्षेप न होकर कानून सम्मत प्रक्रिया है। परन्तु यदि उचित आरोपों के अभाव में यदि ऐसा किया जाये तो यह हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। 'विधि के शासन' में किसी की अनैतिक व्यवहार की जाँच करना उचित है
अन्य उपाय जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित न करे जैसे -
(क) न्यायधीश जाँच विधेयक को पारित करना चाहिये एवं
(ख) न्यायपालिका में स्वयं की आंतरिक जवाबदेहिता क्रियाविधि विकसित करनी चाहिये

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में 123वें संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन पिछड़े वर्ग हेतु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में कितना उपयोगी सिद्ध होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The 123rd constitutional amendment provides for constitutional status to the Commission for Backward Classes. To what extent this amendment will be useful in ensuring social justice to the backward classes? Discuss. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हाल ही में संविधान संशोधन अधिनियम 123 रखा गया।

↓

पिछड़ा वर्ग हेतु संवैधानिक आयोग

- उच्चस्तरीय
- संविधान में अनु. 338 (ख) की स्थापना

उद्देश्य - पिछड़े वर्गों को आरक्षण का समान लाभ देने हेतु। उनके लिये संविधान में विधमान रक्षोपायों व संरक्षण उपायों हेतु जाँच करना व सरकार को इस संबंध में व पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधार हेतु योजना निर्माण में सलाह देना।

उपयोगिता

(क) संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा (पिछड़े वर्ग को)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(ख) आरक्षण के लाभों का समतापूर्ण बंटवारा सुनिश्चित होगा।

27% आरक्षण के बाद भी केन्द्रीय कर्मचारियों में केवल 12% पिछड़ा वर्ग के हैं।

(ग) पिछड़ा वर्ग की शोषित जातियों को लाभ होगा व उत्थान में सहायक

चुनौतियाँ

(क) राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।

(ख) वर्गीकरण की समस्या।

(ग) मानकों की समस्या।

(घ) अपवर्जन की समस्या।

(ङ) कुछ जातियों के समाहित व कुछ के बाहर रहने का डर

(च) राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ावा।

(छ) तुष्टिकरण की नीति।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 के कारण चर्चा में आए समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों की चर्चा करें। इसे लागू करने में प्रमुख बाधक तत्त्वों की पहचान करें तथा इसके संदर्भ में सांविधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करें। (200 शब्द) 12.5

Elucidate the constitutional provisions of Uniform Civil Code which was recently in news due to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017. Also discuss its objectives and identify the major impediments in its implementation. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले 'तीन-तलाक' अर्थात- 'तलाक-उल-बिद्दत' को असंवैधानिक घोषित किये जाने पर सरकार द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 पेश किया गया। प्रस्तुत विधेयक में 'इंस्टेंट ट्रिपिल तलाक' में गैर-कानूनी घोषित कर संज्ञेय व गैर जमानती अपराध घोषित कर 3 साल की सजा का प्रावधान है।

प्रस्तुत विधेयक को कई विशेषज्ञ समान नागरिक संहिता के प्रस्थान बिन्दु के रूप में देख रहे हैं-

समान नागरिक संहिता :- इस संहिता से अल्पसंख्यक स्त्री धर्मों के पर्सनल कानूनों में अंतर को समाप्त कर, एक संहिता का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

निर्माण करना है जिसके उद्देश्य निम्न है-

(क) सभी धर्मों में विद्यमान कुसंगतियों, भेदभाव-पूर्ण प्रथाओं को खत्म करना। (मुस्लिम में बहुविवाह आदि)

(ख) न्याय तक पहुँच को सुगम बनाना।

(ग) संहिताकरण होने से न्यायधीशों को कानून की व्याख्या करने में सहूलियत होगी व विलंबित मामलों का शीघ्र निपटान हो पायेगा।

(घ) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनु० ५५) का क्रियान्वयन हो पायेगा।

(ङ) भारत की एकता को सुनिश्चित कर पायेंगे।

संहिता को लागू करने में बाधक तत्व

(क) सभी धर्मों में सौहार्द्य का अभाव

(ख) धर्मों की बागडोर कट्टरपंथी एवं रूढ़िवादी नेताओं के हाथों में होना।

(ग) समान नागरिक संहिता का प्रचार मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक विरोधी संहिता के रूप में करना जिससे, अल्पसंख्यकों में अविश्वास की भावना।

(घ) अनेक धर्मशास्त्रियों द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लंघन

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

बताया जाना।

(ङ) बहुसंख्यकों के रूढ़िवादी नेताओं द्वारा थोपने की मांग भी अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है।

संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि राज्य समान नागरिक संहिता हेतु प्रयास करेगा। साथ ही अनु. 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इसके अलावा धर्मों के पर्सनल कानूनों में निहित महिलाओं में भेदभाव का प्रतिषेध भी संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

यदि धार्मिक स्तर की विसंगतियों की बात करें तो अनु. 51 (क) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक व आधुनिक सोच को बढ़ावा दे।

इस प्रकार सभी धर्मों को विश्वास में लेते हुए, व्यापक विचार-विमर्श, लोकाचार द्वारा ही इस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

5. भारत में स्थानीय स्वशासन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है? मूल्यांकन करें। साथ ही, इस संदर्भ में 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

Evaluate the success of which local self-government with respect to its objectives. Highlight the provisions of 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' and discuss its positive impacts. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई।

उपलब्धियाँ:-

(क) शासन के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत

(ख) ग्रामीणों में शासन के प्रति जागरूकता का प्रसार

(ग) महिला एवं अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण (अनु. 243(D) व 243(T)] के प्रावधान के कारण इन वर्गों की स्थिति में सुधार (महिलाओं हेतु अनिवार्य 33%)

(घ) राज्य विधानसभा के स्तर पर भी ग्रामीण समस्याओं की अनदेखी करने की प्रवृत्ति में कमी।

(ङ) लोगों में भारत की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता में वृद्धि एवं सहभागिता में भी वृद्धि।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

चुनौतियाँ

(क) वित्तीय आवंटन की समस्या

(ख) शिक्षा व जागरूकता की कमी।

(ग) महिलाओं के वास्तविक अधिकारों में उतनी वृद्धि नहीं (सरपंच पति की अवधारणा)

(घ) गांवों में उच्च जातियों के प्रभुत्व के कारण निचली जातियों के सरपंच बनने पर भी उनका निर्णयन प्रभावी नहीं रहता।

(ङ) शहरी स्तर पर जिला योजना समिति आदि में विधायिका के प्रतिनिधि होने के कारण उनका निर्णय प्रभावी रहता है।

(च) स्वशासन ~~संस्था~~ संस्थाओं में तकनीकी ज्ञान का अभाव भी एक समस्या है

इस प्रकार इन चुनौतियों पर ध्यान देकर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की क्षमता बढ़ाई जा सकती है कि भी लोगों को जागरूक करने, ग्रामीण विकास में, अधिकार देने में स्वशासन की भूमिका असंदिग्ध है

हाल ही में सरकार द्वारा गाँवों के स्तर पर विकेन्द्रीकरण को मजबूत करने। पंचायतों

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

को सशक्त करने, जन-जागरूकता का प्रसार करने हेतु ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके दो पक्ष हैं -

(क) केन्द्रीय क्षेत्र का पक्ष जिसमें पंचायतों को डिजीटल बनाना, योजना आदि का प्रवर्तन करना शामिल है।

(ख) राज्य क्षेत्र का पक्ष जिसमें पंचायतों का अधिकार दिया जाना सम्मिलित है।

इस प्रकार इस अभियान के द्वारा पंचायतों की दक्षता का संवर्धन कर उन्हें विकेन्द्रीकरण में और अधिक भूमिका प्रदान कर सशक्त किया जायेगा जिससे 73वें व 74वें संविधान संशोधन का उचित उद्देश्य पूरा होगा।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

6. अनुच्छेद-142 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह बताएँ कि क्या न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद का उपयोग अपने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण में किया है? इसके लिये न्यायिक संयम कितना कारगर साबित होगा? स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Illustrate the provisions of Article 142 and discuss if the judiciary has used it to step beyond its jurisdiction? Assess the effectiveness of judicial restraint to prevent this encroachment. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संविधान का अनुच्छेद 142 के अनुसार-
"न्यायपालिका भारत के राज्यक्षेत्र में ऐसा आदेश या डिक्री पारित कर सकेगी जो कि किसी भी पक्ष या मामले में पूर्ण न्याय देने से संबंधित है।"

न्यायपालिका अर्थात- उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है-

(अ) हाइवे पर शराबबंदी के मामले में न्यायालय ने केवल हाइवे पर बल्कि हाइवे के 500 मीटर तक शराबबंदी में इस प्रावधान का उपयोग किया।

(ब) बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में संयुक्त प्रयास का आदेश देना।

इस प्रकार की अपवादात्मक शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं है जिसके निम्न कारण हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(ङ) शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के विपरीत - न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना जायज नहीं

(ख) संघीय भावना के विरुद्ध

(ग) लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध क्योंकि न्यायालय प्रत्यक्षतः नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।

(घ) विवेकाधीन शक्तियों का मसला क्योंकि न्यायालय की अनेक पीठों के बीच विवेकाधिकारों का प्रश्न उठ सकता है।

(ङ) न्यायिक अतिसक्रियता का उदाहरण। इन सभी समस्याओं को देखते हुए प्रायः न्यायपालिका में 'अतिसक्रियता' के बजाय 'न्यायिक संयम' अपनाने की सलाह दी जाती है। इसका उल्लेख २००८ में जस्टिस माथुर व जस्टिस काटजू ने भी किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार न्यायालय का कार्य केवल विधियों के निर्वचन से संबंधित है। अतः उन्हें अपने निजी विचारधारा, मूल्यों, सोच को न्यायिक निर्णयों में मिश्रित नहीं होने

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

देना चाहिये। इसके औचित्य निम्न है-

(क) न्यायालय लोकतांत्रिक नहीं है-

(ख) संविधान संघीय भावना है

(ग) न्यायालय की शक्तियाँ संविधान एवं संसद के अधिनियमों से प्राप्त होती है एवं संविधान शक्ति पृथक्करण का प्रावधान करता है

(घ) अमेरिकी एवं ब्रिटिश परंपरा का उत्तराधिकारी होने के नाते न्यायालय को अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर स्वयं को राजनीति के स्तर पर नहीं गिराना चाहिये।

इस प्रकार न्यायिक संयम का पालन न्यायपालिका में अनिवार्यतः करना चाहिये अन्यथा न्यायिक सक्रियता के 'न्यायिक दुस्साहस या न्यायिक निरंकुशता' में तब्दील होने के संभावना बढ़ जाती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

7. क्या अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएँ असफल रही हैं? स्पष्ट कीजिये। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के क्रम में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए समाधान के उपाय भी सुझाएँ। (200 शब्द) 12.5

Have the constitutional provisions failed in resolving interstate water disputes? Elucidate. Highlight the provisions of Interstate River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017 and suggest some measures for resolving such disputes. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 'अन्तर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के विनियमन, विकास एवं विवादों के निपटारे हेतु कानून बनाये'। साथ ही न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को इस परिदृश्य में सीमित किया जा सकता है। संसद ने इस हेतु कानून भी बनाये हैं। - नदी जल बोर्ड अधिनियम, रा० अन्तर्राज्यीय जलविवाद अभि० अधिनियम 1956।

परन्तु व्यवहारतः देखा गया है कि नदी घाटी विवादों की जटिल प्रवृत्ति के कारण ये मामले लंबे खींचते हैं जिनके कारण निम्न हैं -

(क) जल के आँकड़ों का अभाव
(ख) जलमांग का आकलन कठिन कार्य है।
(ग) नदी-जल प्रवाह की अनिश्चित प्रवृत्ति
(घ) राज्यों की दृढ़धर्मिता व न्यायाधिकरण

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

के आदेशों की पालना न करना।

(ङ) पारस्परिक बातचीत, सलाह, विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान न किया जाना।

अतः हम कह सकते हैं कि विवादों की जटिल प्रवृत्ति एवं अन्य पक्ष इनके समाधान न होने के कारण है, न कि संवैधानिक प्रावधान।

इन मुद्दों के हल निवारण हेतु संसद ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक 2017 पेश किया है जिसके प्रावधान निम्न हैं-

(क) अनेक अधिकरणों के बजाय एक 'सिंगल स्टैंडिंग ट्रिब्युनल' की स्थापना जिसकी अनेक पीठें होंगी।

(ख) एक विवाद निवारण समिति (DRC) की स्थापना जो कि दोनों पक्षों में विचार-विमर्श करने को प्रोत्साहित करना।

(ग) मामले के निपटान की निश्चित समय-सीमा बनाना।

(घ) केन्द्र सरकार नदी घाटियों के विकास

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

हेतु एक निकाय का निर्माण करेगी जो कि आँकड़ों के संग्रहण के साथ जल प्रबंधन के सुझाव भी देगा।

अन्य उपाय :-

(क) नदी जल प्रवाह को बनाये रखने के उपाय होने चाहिये यथा- नदी जोड़ो परियोजना।

(ख) जल बचत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जैसे - ड्रिप सिंचाई पद्धति।

(ग) राज्यों में विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना।

(घ) उच्चतम न्यायालय को भी कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप का अधिकार देना

(ङ) नदी जल प्रदूषण (कमी), तट प्रबंधन, वृक्षारोपण, आदि को बढ़ावा देकर नदी जल प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित रखना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

8. निवारक विरोध क्या है? क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन को प्रश्रय देता है? इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What is preventive detention? Does it amount to breach of personal liberty? Give arguments in favour of and against it. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

निवारक निरोध से तात्पर्य है कि व्यक्ति को किसी अपराध हेतु गिरफ्तार न कर उसे भविष्य में किसी अपराध को करने से रोकने हेतु गिरफ्तार करना। संविधान के अनु. 22 के अनुसार कुछ निश्चित परिस्थितियों में आपराधिक मामलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है-

(क) राज्य की सुरक्षा एवं अखण्डता
(ख) विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध
(ग) लोक व्यवस्था
(घ) आवश्यक वस्तु ~~अधिनियम~~ की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

यह एक विडंबना ही कही जायेगी कि विश्व के किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश में इस तरह के निवारक कानून अस्तित्व में नहीं है। वैसे यह कानून देश की सुरक्षा में सहायक है जैसे पोटा अधिनियम, मीसा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अधिनियम, अथवा अधिनियम 1958 आदि।

~~परन्तु यदि इसका~~ परन्तु यदि इस अधिनियम का प्रयोग अविवेकपूर्ण, स्वेच्छाचारी तरीके से किया जाए तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी कर सकता है। जैसे- हाल ही में तेलंगाना में एक व्यक्ति को नकली मिर्च बेचने के आरोप में 'गुण्डा एक्ट' के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत इस आधार पर गिरफ्तार करना कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया 'अप्रभावी' व 'अधिक समय लेने वाली' है, असंवैधानिक है।

परन्तु यदि दूसरे पक्ष यानि राष्ट्रीय एकता' की बात की जाये तो वहाँ की पर हमें इन कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दो तरफ दुश्मन देशों से घिरा होने, घरेलू स्तर पर आतंकवाद,

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उग्रवाद, अलगाववाद की समस्या ग्रस्त होने के कारण भारत में इन कानूनों की आवश्यकता है जैसे जम्मु-कश्मीर एवं उ० पू० राज्यों में अफस्पा अधिनियम वहाँ कि व्यवस्था हेतु ज़रूरी है, हालांकि इस अधिनियम के कारण नागरिकों के गैरज़रूरी उत्पीड़न के आरोप लगते हैं।

अतः सरकार को चाहिये कि वह ~~अधिनियम~~ इन प्रावधानों का विवेकपूर्ण एवं अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में ही प्रयोग करे। साथ ही, दिशा निर्देश जारी करे -

(अ) इन कानूनों के प्रयोग के संबंध में
(ब) किन परिस्थितियों में प्रयोग है।
(ग) निरोध की समयावधि
(घ) निरोधक व्यक्ति के अधिकार आदि।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि क्या इसने वर्तमान में विपक्ष की अवाज़ को दबाने का कार्य किया है? (200 शब्द) 12.5

Elucidate the powers and functions of Lok Sabha Speaker. Has the office of speaker been used recently to suppress the voice of opposition? (200 Words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में संविधान में लोकसभा हेतु लोकसभा अध्यक्ष पद की व्यवस्था है जिसका चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर होता है-

शक्तियाँ एवं कार्य :-

(क) यह सदन में संविधान के प्रावधानों, संसदीय नियमों एवं परंपराओं का अंतिम व्याख्याता होता है।

(ख) इसकी कार्यविधियों एवं आचरण की सदन में न तो चर्चा हो सकती है, न ही आलोचना (मूल प्रस्ताव को छोड़कर)

(ग) संसद के नियमों का निर्धारण, बैठक की तिथि, समय, प्रस्ताव को स्वीकार करना, सदस्य को बोलने की अनुमति देना आदि पर अध्यक्ष का अधिकार है।

(घ) सामान्य परिस्थिति में मत नहीं देता परन्तु मत-बराबरी की दिशा में निर्णायक मत देता है।

(ङ) अध्यक्ष ही यह तय करता है कि

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कौनसा विधेयक धन विधेयक है। इस सन्दर्भ में इसका निर्णय अंतिम होता है।

अन्य कार्य

- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
- समितियों के अध्यक्षों का नामांकन करना।
- संसदीय समूहों की अध्यक्षता करना।
- दल-बदल कानून पर विचार करना (न्यायिक समीक्षा योग्य)

पिछले कुछ समय में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं और इसपर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा है

उदा.

(क) अरुणाचल प्रदेश में अध्यक्ष द्वारा उचित आरोपों की जाँच एवं सुनवाई किये बिना सदस्यों का निष्कासन कर दिया।

(ख) अपने धन विधेयक के निर्धारण की भूमिका में भी 2016 के धन विधेयक में अध्यक्ष ने आधार अधिनियम के कुछ

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्रावधानों को उचित माना, 2017 के बजट के वित्त विधेयक में भी चुनावी बॉण्ड, अधिकरणों के विलय संबंधी प्रावधानों का डालना, जिसे विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद अध्यक्ष ने धन विधेयक माना।

इन सब उदाहरणों के कारण पूर्णतः यह कहना भी सही नहीं है कि अध्यक्ष पद पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रहा है। परंतु निष्पक्षता को बरकरार रखने हेतु कुछ उपाय किये जा सकते हैं जैसे -

(क) अध्यक्ष बनने पर राजनीतिक दल की सदस्यता से इस्तीफा ले लिया जाए।

(ख) दल-बदल से संबंधित प्रावधानों पर निर्णय चुनाव आयोग की सहायता से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाए (विधि आयोग की भी यही सलाह)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. संसदीय विशेषाधिकार ने समानता के स्थान पर असमानता को ही महिमा-मंडित किया है। इस तथ्य का मूल्यांकन करते हुए इसके संहिताकरण की आवश्यकताओं की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

The parliamentary privileges enshrine inequality instead of equality. Examine. Also discuss the need for its codification. (200 Words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संविधान के अनु० 105 व 194 के तहत केवल दो वि

संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार, उन्मुक्तियाँ एवं छूट हैं जो एक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से व संसद को सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के बिना संसद न तो अपनी मर्यादा, सम्मान बनाये रख सकता है न ही अपने सदस्यों को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा एक समाचारपत्र के दो कार्यकर्ताओं को सजा सुनाए जाने पर यह विवाद पुनः उभरा कि क्या संसदीय विशेषाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करते हैं।

वस्तुतः संविधान में क अनु० 105 के तहत केवल दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया है

(क) सदस्य के संसद में बोलने, मत देने की स्वतंत्रता

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(ख) सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन की स्वतंत्रता।

अन्य विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों के समान है एवं संसद ने इस हेतु निधि नहीं बनाई है- यदि असमानता की बात करें तो 'एम. एस. एम. शर्मा वाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने इन विशेषाधिकारों को अनु० 19 के ऊपर बताया। केशव सिंह वाद 1965 में न्यायालय ने कहा कि संसद किसी प्रकार से न्यायपालिका के अनु० 32 एवं अनु० 226 को सीमित नहीं कर सकती, फिर भी विशेषाधिकारों को अनु० 19 पर वरीयता प्राप्त है।

इस प्रकार संपूर्ण रूप में देखने पर यह पता चलता है कि जहाँ विशेषाधिकार सदन की स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु इनका संहिताकरण भी करना है जहाँ तक आपराधिक दण्ड देने की बात है, ब्रिटिश संसद ने

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

किसी भी व्यक्ति को 1880 के बाद जेल की सजा नहीं सुनाई है।

संहिताकरण की आवश्यकता के अन्य पक्ष-

(क) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप (Nemo judex in causa sua)

(ख) लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप क्यों कि जनता से निर्वाचित सदस्यों को जनता की अभिव्यक्ति सीमित नहीं करनी चाहिये।

(ग) अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी इनका संहिताकरण किया गया।

(घ) अविवेकपूर्ण प्रयोग को रोकने हेतु।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

11. समय-समय पर सिविल सेवा में लैटरल इंट्री चर्चा का विषय रहा है। इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

Lateral entry into civil services has been a matter of debate from time to time. Discuss its need and the benefits associated with it. (200 Words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हाल ही में सरकार द्वारा संयुक्त सचिव पदों पर लैटरल एन्ट्री के जरिये भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। कुछ विद्वान इसे नौकरशाही सुधार का एक अंग बता रहे हैं तो कुछ विद्वान यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता पर आघात।

लैटरल एन्ट्री की आवश्यकता :-

(क) उदारीकरण के युग में आर्थिक समस्याओं की महत्ता का बढ़ना।

(ख) आर्थिक-सामाजिक पक्षों की तकनीकी एवं अन्य जटिल पक्षों हेतु जनरलिस्ट के बजाय 'स्पैशलिस्ट' की जरूरत।

(ग) देश के विकास के स्वरूप के साथ सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता।

(घ) विभिन्न आयोगों जैसे प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, अलघ

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

समिति आदि भी पार्श्व एन्ट्री के पक्ष में

(ङ) विभिन्न राज्यों में नौकरशाही की कमी (बसावन समिति रिपोर्ट 2016)

(च) मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, नंदन नीलेकणि जैसे उदाहरणों का अच्छा अनुभव होना।

लाभ :-

(क) जनता की मांगों तक उचित पहुँच स्थापित होगी क्योंकि ये निजी व्यक्ति अपने क्षेत्र की समस्याओं से भली-भाँति वाकिफ होंगे।

(ख) नीति-निर्माण में विशेषज्ञता को महत्व मिलेगा।

(ग) अन्य अधिकारियों में भी अपने काम को लेकर प्रतिबद्धता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का विकास होगा।

(घ) देश की नीतियों एवं विकास योजनाओं को इस वैश्वीकरण बनाम

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संरक्षणवाद के दौर में सामजस्यपूर्ण तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।

कुछ पक्षों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत

(क) राजनीतिक प्रभाव ~~सीमित~~ न पड़े।

(ख) भाई-भतीजावाद न करना।

(ग) एक उचित समय का ट्रायल लेना। लक्ष्य निर्धारित करना।

(घ) केवल विशेष क्षेत्रों में ही भर्ती करना।

इस सब सावधानियों को अपनाकर निश्चित ही यह व्यवस्था भारत में ब्यूरोक्रेसी सुधार का प्रस्थान बिन्दु साबित होगी।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

12. अनुच्छेद 370 की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि क्या इसमें संशोधन संभव है? (200 शब्द) 12.5

Elucidate the provisions of Article 370. Is it possible to amend it? (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

धारा 370 भारत के संविधान में जम्मु-कश्मीर को दी गई स्वायत्तताओं और विशेष रियायतों का समूह है जिन्हें नेहरू-शेख समझौते, राज्य के विलय पत्र के प्रावधानों व विभिन्न राष्ट्रपति आदेशों के द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। धारा 370 की विशेषताएँ निम्न है-

(क) धारा के कारण भारतीय संविधान के भाग 6 के प्रावधान अनु॰ 245 से 263 तक जम्मुकश्मीर पर लागू नहीं होते।

(ख) भारत के नीति-निदेशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्य लागू नहीं

(ग) मूल अधिकार कुछ शर्तों के साथ लागू

(घ) राज्य में आंतरिक आधार (सशस्त्र विद्रोह) के आधार पर बिना राज्य की सहमति के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता (अनु॰ 352)

(ङ) संघ के पास केवल सुरक्षा, संचार व विदेशनीति के विषय।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(ङ) वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। (अनु. 360)

(च) भारत के निवारक निरोध के प्रावधान (अनु. 22) राज्य पर लागू नहीं।

अतः उपर्युक्त विशेषताएँ ये निष्कर्ष प्रदान करती है।

(क) जम्मू-कश्मीर राज्य की अन्य राज्यों से अधिक स्वायत्त स्थिति

(ख) संघ का अन्य राज्यों की तुलना में जम्मु-कश्मीर पर कम नियंत्रण।

धारा 370 का संशोधन

पक्ष :- (क) जम्मु-कश्मीर के भारत में उचित विलय हेतु

(ख) अलगाववादी प्रवृत्ति की समाप्ती हेतु

(ग) कुछ विशेषाधिकार व धारा 35'ए' संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ।

विपक्ष :- (क) राज्य में विद्रोह बढ़ेगा।

(ख) मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है पाकिस्तान द्वारा।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

यदि संशोधन की बात करें तो इस धारा में लिखा है कि धारा में संशोधन राष्ट्रपति आदेश द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे राज्य की विधानमण्डल की विशेष बहुमत से स्वीकृति प्राप्त हो। अतः बिना राज्य की स्वीकृति के संशोधन करना संवैधानिक नहीं होगा।

एक पक्ष यह भी है कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह भारतीय संविधान के प्रावधानों को जे.के. राज्य में विस्तार हेतु आदेश जारी कर सकता है। अतः वह धारा 368 को भी 370 के ऊपर विस्तारित कर सकता है।

परंतु हाल में यह मामला (370 की वैधता) उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के फैसले के आधार पर ही इस निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. समाज के उपेक्षित समूह के संदर्भ में किये गए संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। साथ ही, किये गए संवैधानिक उपायों की उपयोगिता का परीक्षण करें। आपके अनुसार उपेक्षित समूह के लिये और कौन-से प्रयास किये जाने चाहिये? (200 शब्द) 12.5

Discuss the constitutional provisions related to the marginalised sections of society and examine their viability. Suggest additional measures to be taken for these groups. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उपेक्षित समूह से तात्पर्य है वे समूह जो विकास की मुख्य धारा से कटकर हाशिये पर चले गये हैं और जिन्हें विस्तृत सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिये बंधुआ मजदूर, तस्करी पीड़ित व्यक्ति, वेश्या, ट्रांस, महिलाएँ, प्रवासी, झुग्गी निवासी आदि।

संवैधानिक प्रावधान

- महिला हेतु अनुच्छेद 15, 16, 14, 23, 39
- बालक हेतु अनु० 14, 15, 21(क), 24, 39
- ट्रांस हेतु अनु० 51, 48
- बंधुआ मजदूर, तस्करी, वेश्यावृत्ति 23, 24

अल्पसंख्यकों हेतु - 29, 30, 44 आदि।

दलित वर्ग एवं सामाजिक शैक्षिक व पिछड़ा वर्ग

अनु० 15, 16, 17, अनु० 46, 39 (क)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

यदि इन प्रावधानों की उपयोगिता पर चर्चा
की जाये तो आजादी के बाद अनेक
विकास किये हैं जो इन वर्गों की सामाजिक
आर्थिक दशा सुधारने में सहायक हैं जैसे

(क) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षा के प्रतिशत
में वृद्धि, लोकसभा में प्रतिनिधियों की
संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) दलितों हेतु नागरिक अधिकारों का संरक्षण
अधिनियम 1955, नौकरियों पर
विधायिकाओं में आरक्षण (330, 332, 335)
के द्वारा इनकी स्थिति में भी सुधार व
अधिकारों की प्रति जागरूकता बढ़ी है।

(ग) बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, तस्करी पर
कुछ अंकुश लगा है,
बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम 2016
मानव तस्करी विधेयक 2017 आदि।

(घ) वृद्धों, बच्चों प्रवासियों हेतु भी अनेक
नीतियाँ योजनाएँ आदि इन्हीं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्रावधानों का परिणाम है।

अन्य सुधार

(क) अल्पकालीन :- कुछ कानूनों में सुधार की जरूरत जैसे श्रम कानूनों में
- कड़े कानूनों की जरूरत
- वर्गों हेतु उपयुक्त आँकड़ों की व्यवस्था
- NGO से सहायता लेना।

(ख) मध्यकालीन :- प्रशासनिक संवेदनशीलता बढ़ाना
(ख) योजनाओं का उचित कार्यान्वयन करना
(ग) अधिनियमों का शख्ती से पालन करना

(ग) दीर्घकालीन - जनता में जागरूकता बढ़ाना
- कैम्पेन चलाना आदि।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

15. ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में पेसा अधिनियम की भूमिका को स्पष्ट करें। पेसा अधिनियम की सीमाओं की चर्चा करते हुए इन सीमाओं के निराकरण के संदर्भ में कुछ उपायों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What is the significance of PESA Act in empowerment of Gram Sabhas? While discussing the limitations of PESA Act, discuss some measures to dismantling of these limits. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने हेतु भूरिया समिति की सिफारिशों पर अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों का प्रसार अधिनियम (पेसा एक्ट) 1996 लाया गया।

इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को निम्न क्षेत्रों में शक्ति देने की बात कही गई है।

(क) जनजातीय अधिकारों को सुनिश्चितकरना।

(ख) जनजातीयों के अधिकारों, भूमि अधिकार, वन अधिकार, परंपरागत अधिकारों का निर्धारण करना।

(ग) विकास परियोजनाओं के कारण जनजातियों का प्रवासन रोकना व उचित पुनर्वास करना।

(घ) लघु खनिज व लघु वनोपज पर अधिकार देना

(च) ~~&~~ अनुसूचित जनजातियों के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कर्ज को विनियमित कर उन क्षेत्रों में महाजनों की भूमिका को सीमित करना
(ह) विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु राज्य विधायिका द्वारा परामर्श लेना।

सीमाएँ

(क) शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव (जनजातियों में)
(ख) जनजातियों की विभिन्न नई प्रथाओं को अपनाने से संकोच की प्रवृत्ति
(ग) क्षेत्रों का अत्यन्त दुर्गम स्थानों पर होना।
(घ) भाषा की समस्या
(ङ) सबसे बड़ी समस्या - राज्य विधायिका द्वारा ग्राम सभाओं को उचित अधिकार व पर्याप्त वित्त आवंटित न करने की है। देखने में यह भी आया है कि राज्यों ने खनन आदि परियोजनाओं को पास करवाने हेतु पंचायतों की भूमि को शहरी भूमि का दर्जा दे दिया

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

उपाय :–

जनजातीय स्तर पर

- शिक्षा का प्रसार करना।
- अवसंरचना का विकास करना - आधुनिक स्कूलों, सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का विकास करना।
→ जनजातियों को प्रशिक्षित करना (उनके अधिकारों के प्रति)

राज्य के स्तर पर

- राज्यों के उचित वित्त आवंटित करना चाहिये, इस हेतु राज्य वित्त आयोग का कुछ हस्तक्षेप कराया जा सकता है
- अनैतिक प्रथाओं का त्याग करना चाहिये।
- यदि खनन परियोजनाओं में जनजातिय लोगों को ही उचित प्रशिक्षण देकर भर्ती किया जाए तो ग्राम सभा के स्तर पर विश्वास बढ़ सकता है।
- ग्राम सभा की शक्तियों की रक्षा? बहाली करनी चाहिये।
- वर्जीनियस खाखा (Xaxa) समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिये।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

16. मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ नीति-निर्देशक तत्त्वों को प्रमुखता प्रदान किये बिना देश का सर्वांगीण विकास एवं समतावादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। स्पष्टीकरण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Holistic development of the country and creation of a socialist society is not possible without safeguarding the Fundamental Rights and giving primacy to the Directive Principles of State Policy. Analyse. (200 words) 12.5

भारत के संविधान में राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु भाग 3 में 'मूल अधिकारों' का वर्णन है तो सामाजिक-आर्थिक अधिकारों हेतु भाग 4 में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' का।

सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। केवल एक प्रकार प्रदान कर देने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है।

दोनों के निर्माण का विचार आजादी के पश्चात से ही राज्य का प्रमुख एजेंडा रहा है। इस कार्य हेतु दोनों में टकराव भी हुए क्योंकि मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार विद्यमान था, जो कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय था जबकि निर्देशक तत्वों के लिये ऐसे प्रावधान नहीं थे

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

परंतु निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 39 क(ख) व(ग) भाग जो कि धन के अधिकारी संकेन्द्रण को रोकने व समाज के भौतिक संसाधनों के समतापूर्ण आवंटन से संबंधित है, के उचित क्रियान्वयन व प्रस्तावना के 'समाजवादी' राज्य की प्राप्ति हेतु मूल अधिकारों में उचित संशोधन अपरिहार्य था।

अतः शंकरी प्रसाद मामले (1951) से लेकर केशवानंद भारती वाद (1973) तक चला यह टकराव अन्त में मिनर्वा मिल्स मामले में समाप्त हुआ। नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु सरकार ने भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति, 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया जो कि मूल अधिकारों से टकराव के मुद्दे थे।

अन्त में सरकार ने भी 1976 में

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 'मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों' को एक रथ के दो पहियों के समान बताया व इन्हें संविधान की बुनियादी नींव के समान बताया।

अतः व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु एवं असमानता समाप्त करने हेतु इनका सामंजस्य आवश्यक है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

17. 'संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ विपक्ष को रचनात्मक विरोध करने का भी अधिकार है।' लेकिन हाल ही में सांसदों द्वारा रचनात्मक विरोध के अधिकार के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न संसदीय गतिरोध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'The opposition has right to discuss matters of public welfare and to oppose constructively.' Critically examine the recent parliamentary stalemates arising due to the misuse of right to constructive opposition. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

सरकार के उचित व तर्कसंगत परीक्षण हेतु विपक्ष की महत्ती भूमिका है

भूमिका

(क) सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण।
(ख) सरकार को निर्णयों में व्याप्त कमियों, लूपहोल्स के बारे में बताना।
(ग) संवैधानिक परंपराओं की रक्षा करना।
(घ) 'युक्तिसंगत प्रतिनिधित्व' के सिद्धान्त का रक्षण
(ङ.) संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा बनाये रखना

हालिया मुद्दे :

(क) संसद की कार्यवाही को बाधित करना। लोकसभा के दिन 1950-60 के दशक में 120 दिन

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

वही पिछले शोक में 50-60 दिन

(ख) 'विरोध केवल विरोध के लिये' वाली मानसिकता। आजकल सरकार के हर निर्णय पर विपक्ष का विरोध इसी मानसिकता का परिणाम है।

(ग) राष्ट्रीय मुद्दों की अवहेलना कर क्षेत्रीय व व्यक्तिगत मुद्दों पर हंगामा खड़ा करने की प्रवृत्ति।

(घ) सरकार की तार्किक आलोचना न कर पार्टीगत मुद्दों में उलझने की प्रवृत्ति

उपाय

(क) संसद में मर्यादा व उचित आचरण हेतु सख्त नियम बनाये जाने चाहिये।

(ख) हर बार 'व्हिप' जारी करने की प्रथा का अंत करना चाहिये।

(ग) संवाद की संस्कृति का पुनर्विकास आवश्यक है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(घ) सरकार को भी चाहिये की संवेदनशील मसले पर विपक्ष से राय ली जाये।

(ङ) सरकार को अपने पदों का दुरुपयोग विपक्षी आवाज दबाने हेतु नहीं करना चाहिये

(च) दल-बदल कानून में उचित संशोधन किया जाना चाहिये।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

18. सांविधिक निकाय एवं अर्द्ध-न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है? दोनों निकायों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What is meant by "statutory body" and "quasi-judicial body"? Illustrate their features with examples. (200 words) 12.5

संविधानिक निकाय:- इन्हें संविधान में निहित प्रावधानों के द्वारा संसद के अधिनियम के तहत पर्यवेक्षणकारी, नियंत्रक एवं विनियामक आदि कार्यों हेतु गठित किया जाता है जैसे - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ~~मानवाधिकार आयोग~~ सेबी, एस.बी.आई

विशेषताएँ

(क) पूर्णतया स्पष्टता नहीं होती क्यों कि अलग-2 नियमों के आधार पर इनके कार्यों व स्थिति की अलग-2 व्याख्या की जा सकती है।

(ख) विधि में निहित कार्यों का संपादन जैसे आर.बी.आई का कार्य बैंकों का विनियमन, जीवन बीमा निगम का कार्य बीमा की सार्वभौमिकता लाना आदि।

(ग) विधि द्वारा इनके सदस्यों की भर्ती, सेवा शर्तें, हटाना आदि किया जाता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

जैसे - कंपनी कानून के तहत एन.सी.एल.ए.टी.

अर्द्ध-न्यायिक निकाय :- इनकी स्थापना विधि द्वारा या कार्यकारी आदेश द्वारा भी की जा सकती है जैसे प्रशासनिक अधिकरण, मानवाधिकार आयोग।

विशेषताएं

(क) इनका कार्य मुख्यतः न्यायपालिका पर दबाव को कम करना होता है। ये पूर्णतः न्यायिक न होकर केवल प्रशासनिक मसलों पर न्याय करते हैं। इन्हें सिविल कोर्ट की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, आदि

(ख) इनके खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ग) न्याय के कार्यों में अतिव्यापन भी देखने को मिलता है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

19. लोक अदालतों की चर्चा करते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक भार को कम करने में इनकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। (200 शब्द) 12.5

Discuss the features of Lok Adalats. Examine their viability in quick disposal of cases and reducing the judicial burden. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है जिसमें कोई पक्ष पराजित या विजयी नहीं होता एवं दोनों पक्षों में वार्ता, विचार-विमर्श सुलह के द्वारा मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम गुजरात में 1972 में इसकी स्थापना हुई। 1987 में कानूनी अधिनियम में अस्थाई लोकअदालतों का प्रावधान हुआ।

विशेषताएँ

(क) भारतीय दर्शन (महात्मा गांधी) पर आधारित

(ख) वैकल्पिक समाधान तंत्र का प्रकार

(ग) न्याय प्रक्रिया में तेजी

(घ) प्रकृति न्याय के सिद्धान्तों का प्रयोग

(ङ) साक्ष्य अधिनियम 1862 व दंड संहिता व सिविल प्रक्रिया संहिता।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

जैसे रूढ़ नियमों को दरकिनार कर अनौपचारिक माहौल में समाधान करना

(घ) केवल समाधेय अपराधों (आपराधिक) व सिविल अपराधों हेतु प्रयुक्त

(ङ) अपील किये जाने पर या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर

(च) निर्णय अंतिम होता है, अपर अपील नहीं की जा सकती।

(उपयोगिता) आज भारत में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित। प्रति मिलियन आबादी पर केवल 14 न्यायधीश अतः इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है

(क) मामलों का शीघ्र निपटान

(ख) अनौपचारिक वातावरण

(ग) जीत हार के बजाय समरसता पर बल

(घ) निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होने

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

से अपीलीय समय बचता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

20. हाल में धारा 497 चर्चा का विषय रही है, इसके कानूनी पहलुओं की चर्चा करते हुए इस धारा में बदलाव की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Section 497 has been in news recently. Highlight its provisions and discuss the need to amend this section. (200 words) 12.5

धारा 497 - दहेज विरोध से संबंधित है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में आई-पी. सी की इस धारा के तहत गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी एवं एक नागरिक समाज समिति (उच्चस्तरीय) सिफारिश पर ही जो एक माह में जाँच करेगी की सिफारिशों पर गिरफ्तारी होगी।

कानूनी पहलू :-

(क) संज्ञेय, गैर जमानती धारा

(ख) 3 वर्ष का कारावास

(ग) स्त्री अपने ससुराल के किन्ही भी सदस्यों पर आरोप लगा सकती है

आवश्यकता :- NCRB के आँकड़ों के अनुसार केवल 14.4% मामलों पर

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ही दोष सिद्धि।

(ख) अन्य देशों में पारिवारिक विवाद सिविल मामलों में आते हैं अतः इनके सुधार हेतु भी जरूरी।

(ग) मलिमथ समिति ने भी ऐसी ही अनुशंसा की है।

(घ) एक अन्य मामले में 2007 में न्यायालय इसे 'कानूनी आतंकवाद' की संज्ञा दे चुका है।

(ङ) परिवार के हित बच्चों, वृद्धों व स्त्रियों को झूठे आरोपों से बचाने हेतु भी आवश्यक।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्प
उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम
अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clear
on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be giv
for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck c

समग्र मूल्यांकन

(Overall Evaluation)

Copyright – Drishti The Vision Founda